संख्या – /VI/2005–51(पर्य0)2003

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन, पटेल नगर,
देहरादून।

पर्यटन अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 29 नवम्बर, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 के अन्तर्गत 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद हेतु स्वीकृत धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–487/VI/2005–51(पर्य0)2003, दिनांक 16 मई, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005–06 के अन्तर्गत पर्यटन विभाग के अन्तर्गत पर्यटन परिषद् को सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद में रू0 1.50 करोड़ (रूपये एक करोड़ पच्चास लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का तीन किश्तों में आहरण किया जायेगा। पूर्व किश्त के पूर्ण उपयोग के बाद ही आगामी किश्त का आहरण किया जायेगा।

2–उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृती प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3–यदि स्वीकृत की जा रही धनराशि से कोई निर्माण कार्य कराया जाता है तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4–कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2006 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण/कार्य का विवरण एवं उपयोगित प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

6–यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन मदों हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत किया गया हो उस हेतु पुनः धनराशि कदापि स्वीकृत न किया जाय। इस हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य–आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–उत्तरांचल राज्य पर्यटन विकास परिषद–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामें डाला जायेगा।

8–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–93/XXVII(2)/2005, दिनांक 28 नवम्बर, 2005 में उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।

संख्या – 1383 /VI/2005–51(पर्य0)2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।